न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 510/2016

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. जस्साराम पुत्र धन्नाराम के का.मु
   1/1 छोटीदेवी पत्नी जस्साराम
   1/2 हिम्मतराम पुत्र जस्साराम
   1/3 जोराराम पुत्र जस्साराम
   1/4सत्यनारायण पुत्र जस्साराम के का.मु.
   1/4/1 सुखीदेवी पुत्र सत्यनारायण
   1/4/2 अमराराम पुत्र सत्यनारायण
   1/4/3 कालीदेवी पुत्री सत्यनारायण
2. चुतराराम पुत्र धन्नाराम
   जाति–सीरवी निवासी– खेड़ा देवगढ
   तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.

1. सुखाराम पुत्र घीसाराम
2. लिक्षमणराम पुत्र घीसाराम
3. मैनादेवी पुत्री घीसाराम
4. राजूराम पुत्र रोडाराम
5. कचनदेवी पुत्री रोडाराम
6. पुष्पा देवी पुत्री रोडाराम
7. कमलादेवी पत्नी रोडाराम
   जाति– सीरवी निवासी खेड़ा देवगढ (निमाज द्वितीय)
   तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.26/08/2016

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 08/01/2020

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा शेरा पुत्र शिवदान के वारिसान है। सरहद मौजा खेड़ादेवगढ पटवार हल्का निमाज द्वितीय में वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य खातेदारान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1929 रकबा 179–02 बीघा किस्म चाही ,दोयम आई हुई है। वादपत्र के पद संख्या 01 में दर्ज कृषि भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी है जिसमें वादीगण के दादा शेरा पुत्र शिवदान का नाम वक्त सेटलमेन्ट की बनी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 में इन्द्राज है तथा उसके बाद की बनी जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 में भी शेरा वल्द शिवदान का नाम बतौर खातेदार के इन्द्राज है। इस जमाबन्दी में जरिये म्युटेशन संख्या 191 शेरा के वारिसान धन्न, रामचन्द्र, हेमा, जोगा, मला, जीया पुत्र शेरा बहिस्सा बराबर इन्द्राज हुआ तथा बाद की बनी जमाबन्दी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सवंत 2028 से 2031 व 2032 से 2035 में घीसा वल्द धन्ना 1/10 हिस्स इन्द्राज है। जबकि घीसा के साथ वादीगण का नाम भी तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी को दर्ज किया जाना चाहिये था तथा घीसाराम की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में जो 1/10 हिस्से में दर्ज हुआ जो एक गलत इन्द्राज है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी व सामलाती खातेदारी की है जिसमें हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत भी वादीगण का कानूनन हक व अधिकार है वादीगण का नाम इन्द्राज भी नहीं होता है तो वादीगण अपने जायज अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा वादीगण को असीम हानि होगी जबकि मोके पर वादीगण का भी माफिक हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में अपना नाम इन्द्राज करवाने बाबत प्रतिवादीगण का दिनांक 16.05.2016 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए इतना ही नहीं वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की भी एलानिया धमकी दी व बैचान हस्तांतरण करने की भी धमकी दी तब वादीगण ने यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण के पेश है। तथा अन्य खातेदारान से कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। बिनाय दावा दिनांक 16.05.2016 को वादीगण ने वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो स्पष्ट इंकार हुए इतना ही नहीं वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने व बेचान हस्तांतरण आदि करने की धमकी देने पर बमुकाम खेड़ादेवगढ तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में है।

राजीनामा वादी जस्साराम के का.मु. छोटीदेवी, हिम्मताराम, जोराराम व सत्यनारायण पुत्र जस्साराम फौत के का.मु. सुखीदेवी, अमराराम, कालीदेवी व चुतराराम तथा प्रतिवादी सुखाराम, लिछमणराम, मैनादेवी की ओर रो पेश है कि उपरोक्त अनवान के मुकदमें में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पेतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 1929 रकबा 179-2 बीघा आयी हुई होनें से तथा उक्त भूमि पक्षकारान के दादा शेरा पुत्र शीवदान की होने से आपस में आपसी समझाइश से इस आशय का राजीनामा कर लिया है की खसरा नंबर 1929 रकबा 179-02 बीघा में प्रतिवादीगण के 1/10 हिस्से में वादीगण का नाम बतौर खातेदार के दर्ज किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति व एतराज नहीं है। माफिक राजीनामा वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रति. की ओर से राजीनामा जरिये अधिवक्ता पेश है। अतः राजीनामा पेश कर अर्ज है कि माफिक राजीनामा खसरा नंबर 1929 रकबा 179-02 बीघा में प्रतिवादीगण के 1/10 हिस्से के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिकी पारित की जावे।

हमनें प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी और उस पर मनन किया। दौरान-ए-बहस उभयपक्षकारान ने बराजीनामा वाद डिकी किए जानें का कथन किया। हमनें पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन किया। जमाबंदी ग्राम-निमाज, तहसील-जैतारण, संवत 2012-2031 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1929, रकबा 179-02 बीघा के बतौर खातेदार शेरा वल्द शिवदान दर्ज है। जमाबंदी सवंत 2024-2027 में भी शेरा वल्द शिवदान बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबंदी में खातेदार शेरा के फौत होने से नामांतरण संख्या 191 के द्वारा शेरा के वारिसान धन्ना, रामचंद्र, हेमा, जोगा, मल्ला और जीया का अंकन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता धन्ना को उनके पिता शेरा से विरासत में प्राप्त हुई है। जमाबंदी संवत् 2028-2031 में घीसा वल्द धन्ना हि. 1/10 अंकित है, जो कि जमाबंदी

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संवत् 2032-2035 में भी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2071-2074 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी सुखाराम, लिछमणराम, मैनादेवी पि. घीसा, चुनीदेवी पत्नी घीसा, राजुराम, कंचनदेवी, पुष्पादेवी पि. रोड़ाराम, कमलादेवी पत्नी रोडाराम हि. 1/10 अंकित है। वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 05 से 08 की ओर से दिनांक 13.10.2016 को प्रस्तुत एवं तस्दीक एवं वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की ओर से प्रस्तुत एवं तस्दीकशुदा राजीनामा दिनांक 19/01/2019 के अनुसार प्रतिवादीगण/खातेदारान ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1929 रकबा 179-02 बीघा में से अपने हिस्से दर्ज आराजी 01/10 वें भाग के साथ सहखातेदार के रूप में वादीगण को खातेदार घोषित किए जानें की स्वैच्छा से सहमति प्रदान की है तथा वादीगण का अनुतोष भी यही है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी होनें से वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ उक्त वादग्रस्त आराजी में हक एवं अधिकार निहित है, जिसकी घोषणा करवानें के वे विधितः हकदार है, अतः प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों राजीनामा कानूनी रूप से वैध एवं स्वीकार किए जानें योग्य होने से हस्तगत वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाना हम वैध एवं उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत धारा-88, 92अ, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 जरिए राजीनामा बखूबी साबित होनें से पक्ष में वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम-खेड़ादेवगढ़, पटवार हल्का-निमाज द्वितीय, तहसील- जैतारण, जिला-पाली की खसरा संख्या 1929 की रकबा 179-02 बीघा, किस्म- चाही दोयम आराजी में सहखातेदार एवं प्रतिवादीगण सुखाराम, लिछमणराम, मैना पि. घीसा, चुन्नीदेवी पत्नी घीसा एवं राजूराम, कंचन, पुष्पा पि. रोड़ा, कमला पत्नी रोड़ा हि. 1/10 के साथ वादीगण को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 08/01/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. जस्साराम पुत्र धन्नाराम के का.मु
   1/1 छोटीदेवी पत्नी जस्साराम
   1/2 हिम्मतराम पुत्र जस्साराम
   1/3 जोराराम पुत्र जस्साराम
   1/4 सत्यनारायण पुत्र जस्साराम के का.मु.
   1/4/1 सुखीदेवी पुत्र सत्यनारायण
   1/4/2 अमराराम पुत्र सत्यनारायण
   1/4/3 कालीदेवी पुत्री सत्यनारायण
2. चुतराराम पुत्र धन्नाराम जाति–सीरवी निवासी– खेड़ा देवगढ तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.

1. सुखाराम पुत्र घीसाराम
2. लिक्षमणराम पुत्र घीसाराम
3. मैनादेवी पुत्री घीसाराम
4. राजूराम पुत्र रोडाराम
5. कचनदेवी पुत्री रोडाराम
6. पुष्पा देवी पुत्री रोडाराम
7. कमलादेवी पत्नी रोडाराम जाति– सीरवी निवासी खेड़ा देवगढ (निमाज द्वितीय) तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु.न :–510/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा–88, 92अ, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 जरिए राजीनामा बखूबी साबित होनें से पक्ष में वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम–खेड़ादेवगढ़, पटवार हल्का–निमाज द्वितीय, तहसील– जैतारण, जिला–पाली की खसरा रांख्या 1929 की रकबा 179–02 वीघा, किस्म– चाही दोयम आराजी में सहखातेदार एवं प्रतिवादीगण सुखाराम, लिछ्मणराम, मैना पि. घीसा, चुन्नीदेवी पत्नी घीसा एवं राजूराम, कंचन, पुष्पा पि. रोड़ा, कमला पत्नी रोड़ा हि. 1/10 के साथ वादीगण को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/01/2020 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	–	स्टाम्प वकालतनामा	02	–
स्टाम्प वकालतनामा	02	–	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	05	–	महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	–	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		गुत्फरिक		
मिजानः–	13	–	मिजानः–	02	–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.04 10:43:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: